–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 225/2024

उनवान

1. महबूब बेग पुत्र छोटू बेग
2. महफूल पत्नी छोटू बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. फिरोज बेग पुत्र बाबू बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम जिलावडा, नसीराबाद
2. उप पंजीयक, नसीराबाद,
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 व 3 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जिलावडा के चौसाला खसरा नम्बर 83 वंर्किग खसरा नम्बर 59 रकबा 1–8–0 के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.23 की आराजी का 1/2 हिस्सा वादी ने विक्रेता बाबू बेग पुत्र छीतर बेग से दिनांक 29.01.1979 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। विक्रेता बाबू बेग की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र के अनुसार वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी का कथन है कि ग्राम [illegible] के चौसाला खसरा नम्बर 83 वंर्किग खसरा नम्बर 59 रकबा 1–8–0 के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.23 की आराजी का 1/2 हिस्सा वादी ने विक्रेता बाबू बेग पुत्र [illegible] 29.01.1979 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। विक्रेता बाबू बेग की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:40 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 1 ही है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र के अनुसार वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। वादी ने तत्कालीन खातेदार बाबू बेग पुत्र छीतर बेग से चौसाला खसरा नम्बर 59 वंर्किग खसरा नम्बर 83 रकबा 1–8–0 क्रय किया था। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी में विक्रेता व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.23 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। वादी ने आराजी मुतनाजा पर बाबू बेग पुत्र छीतर बेग का हिस्सा क्रय किया था। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से तक की आराजी का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहा है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रतवादी संख्या 1 की सहमती का शपथ पत्र पेश किया हैं। विक्रेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाज का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी आराजी मुतनाज पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम जिलावडा के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.23 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

महबूब बनाम फिरोज

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 225/2024
पेश करने की दिनांक — 25.10.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) —व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम जिलावडा के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.23 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद